THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) and (b) Against an estimated demand of 1,30,000 tonnes of Zinc and 78,000 tonnes of Lead in 1991-92, the indigenous production of primary producers is estimated at 1,04,950 tonnes of Zinc and 53,400 tonnes of Lead.

(c) Hindustan Zinc Limited has commissioned the Integrated Zinc-Lead Project in 1991-92 with an annual capacity of 70,000 tonnes of Zinc and 35,000 tonnes of Lead.

(d) and (e) Binani Zinc Limited (BZL) having an annual capacity of 20,000 TPA of Zinc, is the only primary producer of Zinc in the country in the private sector. In 1991-92 Binani Zinc Limited produced 14,634 tonnes of Zinc upto February, 1992 against the annual target of 16,000 tonnes and proposes to increase its annual capacity from 20,000 tonnes to 25,000 tonnes.

मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम, 1982 और उपकर अधिनियम, 1981 का कार्यान्वयन

4229. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने खनिजों के खनन का विकास करके उनसे अधिक राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम, 1982 और उपकर अधिनियम, 1981 के अधीन उपकर लगाया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया है कि राज्य-सरकार को खनिजों पर कर लगाने का प्राधिकार नहीं है और उक्त न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया है कि दोनों अधिनियम असंवैधानिक हैं और यदि हां, तो इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार को कितनी धनराशि लौटानी पड़ेगी ; और

(ग) उपर्युक्त कानूनों को पुन: वैध बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है जिससे कि राज्य सरकार को उक्त राशि न लौटानी पड़े ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 तथा मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम, 1982 के अंतर्गत अधिक राजस्व अर्जित करने के के लिए उपकर लगाए थे ।

(ख) जी हां, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4 अप्रैल, 1991 के फैसले के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को उपकर के रूप में वसूल किए गए लगभग 186 करोड़ रुपए लौटाने थे ।

(ग) उक्त कानूनों को पुन: विधिमान्यकरण करने की दृष्टि से, ताकि राज्य सरकारों को वसूली की गई उपकर की राशि लौटानी न पड़े, राष्ट्रपति द्वारा 15 फरवरी, 1992 को खनिज उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 7) प्रख्यापित किया है । इस अध्यादेश को संसद के अधिनियम द्वारा प्रति-स्थापित करने के लिए लोक सभा में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया है ।

Amendment in MMRD Act, 1957

4230. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision with regard to amending the Mines and Minerals Regulation and Development (MMRD) Act, 1957;

(b) whether Government are aware that the proposed amendments would adversely affect the income of Rajasthan Government and whether the Chief Minister of Rajasthan has already sent a formal protest in this regard by offering comments on various issues; and

(c) if so, what is the reaction of Government thereto and what steps Government propose to take to save the livelihood of hundred of low income people in the State solely dependant on mining etc.?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) No, Sir.

(b) and (c) It is premature to say as to whether the proposals for amendment of Mines and Minerals Regulation and Development) Act under consideration would affect the income of Rajasthan Government.

The views of the Government of Rajasthan as well as those of other State Governments/Union Territories will be taken into consideration before finalising amendments to the Act.

Illegal gold trade in eastern Madhya Pradesh

4231. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that illegal gold trade is going on unabated in the Raigarh District in Eastern Madhya Pradesh as per the news-item entitled "MP Tribals barter gold for rice, Salt" which appeared in the Pioneer, New Delhi dated the 7th January, 1992; and

(b) if so, what are the details in this regard and what steps Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बिहार में खनिज भंडार

4232. **श्री राम अवधेश सिंह :**

श्री महेन्द्र सिंह लाटर :

श्री शब्बीर अहमद सलारिया :

श्री शांति त्यागी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कौन-कौन से खनिज पदार्थ सुलभ हैं और उनके भंडारों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) लोहा, इस्पात, ताम्बा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि के खनिज अयस्कों से कितने-कितने प्रतिशत मूल धातु और परिष्कृत धातु प्राप्त होती है ; और

(ग) बिहार में सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्योगों द्वारा उपर्युक्त सभी खनिजों पर सरकार को कितना-कितना उत्पाद शुल्क और आयकर अदा किया जाता है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) बिहार में प्राप्त महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार की जानकारी विवरण में है । **(नीचे देखिए)**

(ख) आकलन विवरण–II में है **(नीचे देखिए)**

(ग) इस मंत्रालय द्वारा अथवा इसके अधीन किसी उपक्रम द्वारा खनित खनिजों के लिए कोई उत्पाद-शुल्क नहीं दिया जाता है । परन्तु, इस मंत्रालय के उपक्रमों द्वारा उनके शुद्ध लाभ और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य कारकों के आधार पर आयकर देय होता है । खनिजों के राज्यवार खनन के लिए अलग से आयकर नहीं दिया जाता है ।